

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/संस्था./स्थाईकरण-ए.टू.जी./2023/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से नियुक्त है को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ0/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बैंड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- लेवल इन पे मैट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र0स10	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थाईकरण तिथि
01	डॉ0 शिखा मीणा चि0अ0	14.05.1993	25.06.2021	24.06.2022
02	डॉ0 अरविन्द कुमार जांगिड	05.05.1988	09.07.2020	08.07.2021

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/संस्था./स्थाईकरण-ए.टू.जी./2023/217

दिनांक : 25/8/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जौन ।
3. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
4. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
5. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।
6. अति0 प्रशासनिक अधिकारी एटीसी राजपत्रित मुख्यालय ।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भजकर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे ।
8. गोपनीय अनुभाग (राजपत्रित) मुख्यालय ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date : 24-08-2023 10:32:09